प्रेस नोट
थाना एरच, झांसी

दिनांक 15.02.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना एरच पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **कब्जे से 01 तमंचा देशी 315 बोर तथा 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद,**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार झांसी में निरुद्ध कराया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 15.02.2026 को थाना एरच पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला कारागार झांसी में निरुद्ध कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 13.02.2026 को थाना एरच पर वादी सरमन पुत्र विहारीलाल निवासी ग्राम बेंदा सुरबई थाना एरच जनपद झांसी द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि 1. बल्लू उर्फ बलराम पुत्र हरिओम निवासी- ग्राम बेड़ा, थाना- एरच, जनपद- झांसी तथा 2. मुकेश दुबे पुत्र अनुप दुबे उम्र करीब 24 वर्ष निवासी- ग्राम बेड़ा, थाना- एरच, जनपद- झांसी द्वारा गाली-गलौज व मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना एरच पर मु०अ०सं०- 21/2026 धारा 109/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के क्रम में अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी एरच द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया । दिनांक 14.02.2026 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर, नर्सरी बेंदा रोड के पास से **अभियुक्त बल्लू उर्फ बलराम पुत्र हरिओम निवासी ग्राम बेड़ा थाना एरच जनपद झांसी** को थाना एरच पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 तमंचा देशी 315 बोर तथा 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए । मौके से अन्य अभियुक्त**- मुकेश दुबे पुत्र अनुप दुबे उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी- ग्राम बेड़ा, थाना- एरच, जनपद- झांसी** को भी गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद झांसी के विभिन्न थानों में पूर्व से ही आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं । आज दिनांक 15.02.2026 को थाना एरच पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के पालन के अनुक्रम में गिरफ्तार अभियुक्तगण को जिला कारागार झांसी में निरुद्ध कराया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता व अपराधिक इतिहास -</u>

1. बल्लू उर्फ बलराम पुत्र हरिओम उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी- ग्राम बघैरा, थाना- टहरौली झांसी

1.मु0अ0सं0- 49/23 धारा 307/34/504/506 भादवि0- थाना टहरौली जिला झांसी

2.मु0अ0सं0- 65/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना टहरौली जिला झांसी।

3.मु0अ0सं0- 21/26 धारा 109/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एऱच झांसी।

2. सुभाष दुबे पुत्र अनूप उर्फ परशुआ वाले उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी- ग्राम बघैरा, थाना- टहरौली झांसी

1.मु0अ0सं0- 34/2017 धारा 323/506 भादवि0 थाना टहरौली झांसी

2.मु0अ0सं0-84/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना गुरसराय झांसी

3.मु0अ0सं0-210/20 धारा 147/323/504/506/452/427भादवि0 व 3(1)घ/3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना टहरौली झांसी

4.मु0अ0सं0-21/2026 धारा 109/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना एऱच जनपद झांसी।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u> 01 तमंचा देशी 315 बोर तथा 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

<u>गिरफ्तार / सहयोग करने वाली टीम–</u>

1. थानाध्यक्ष डा0 उदयप्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार
3. हे0का0 172 शिवसिंह
4. हे0का0 543 नीरज कुमार
5. का0 158 अंकित दीक्षित
6. का0- 933 कमलेश कुमार
7. का0- 389 नितिन कुमार